न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:— श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 353/2022 — दायर दिनाँक 17.08.2022

वादी		प्रतिवादी
1. कुलदीप सिंह पुत्र किशनसिंह उम्र 32 वर्ष जाति रावणा राजपूत निवासी चक, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।	बनाम्	1. किशनसिंह पुत्र सोहनसिंह 2. रिछपाल पुत्र सोहनसिंह 3. बुद्धसिंह पुत्र सोहनसिंह 4. सम्पतसिंह पुत्र सोहनसिंह 5. मुलसिंह पुत्र सोहनसिंह 6. कानसिंह पुत्र सोहनसिंह 7. छोटूसिंह पुत्र सोहनसिंह समस्त जाति रावणा राजपूत निवासी चक, तहसील डीडवाना जिल नागौर राज0 8. उप पंजीयक/तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा— 53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थित:—

1. श्री महावीर प्रसाद गुर्जर वकील वादी
2. श्री सतवीर सतवीर ठोलिया वकील प्रति0 सं0 1 ता 7 की ओर से।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक 08.09.2022

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि वादी की कब्जा काश्त सुदा भूमि खेत खसरा सं0 64 रकबा 1.4800 हैक्टे0, खसरा सं0 15 रकबा 3.0500 हैक्टे0, खसरा सं0 17 रकबा 0.3200 हैक्टे0 भूमि मौजा सरहद चक पटवार हल्का सिंघाना तहसील डीडवाना, जिला नागौर राज0 में अवस्थित है जिसकी खातेदारी वर्तमान में शान्तिकंवर पत्नि जगू उर्फ जगदीश के नाम से दर्ज है।

यह है कि खातेदार शान्तिकंवर पत्नि जगूसिंह के जीवन के निर्वहन एवं भरण पोषण तथा उनकी सेवा चाकरी आदि वादी द्वारा की गई थी तथा शान्ति कंवर का देहान्त दिनांक 23.03.2022 को हो गया है एवं इनकी खातेदारी युक्त उपरोक्त तीनों खसरो की सम्पूर्ण भूमि को खातेदार शान्तिकंवर ने अपने जीवन काल में ही सेवा इत्यादि करने के कारण [illegible] जिस पर वादी अकेला ही कब्जा काश्त कारता आ रहा है एवं शा[illegible]कंवर [illegible]लाद फौत हो जाने के तथा वादग्रस्त खसरान भूमि पर [illegible] कब्जा काश्त करता आ रहा होने से वादी उपरोक्त [illegible] की खातेदारी अपने नाम से घोषित करवाने हेतु उक्त वाद पत्र पेश कर रहा [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:37:08 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना वादी निम्न प्रकार है:—

यह है कि वादी व का वाद डिक्री किया जाकर खेत खसरा सं0 64 रकबा 1.4800 हैक्टे0, खसरा सं0 15 रकबा 3.0500 हैक्टे0, खसरा सं0 17 रकबा 0.3200 हैक्टे0 भूमि मौजा सरहद चक पटवार हल्का सिंघाना तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 की खातेदारी को दुरूस्त किया जाकर राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम दर्ज किये जाने की घोषणा कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कराने के आदेश प्रदान करावें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी सं0 8 बावजुद तामिल के अनुपस्थित। अतः इनके खिलाफ एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

विद्वान अधिवक्ता वादी की सारगर्भित बहस सुनी गयी, वादी ने वाद का डिक्री किये जाने का निवेदन किया, विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। अतः बाद विवेचन, वाद वादी डिक्री किया जाता है।

—:आदेश :—

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, सरहद चक पटवार हल्का सिंघाना के खेत खसरा सं0 64 रकबा 1.4800 हैक्टे0, खसरा सं0 15 रकबा 3.0500 हैक्टे0, खसरा सं0 17 रकबा 0.3200 हैक्टे0 भूमि में इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर वादी को स्वतन्त्र खातेदार घोषित किया जाता है।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **08.09.2022** को सरे इजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:36
Reason: SelfAttested

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 353/2022 दायर दिनाँक 17.08.2022

प्रार्थी		अप्रार्थीगण
1. कुलदीप सिंह पुत्र किशनसिंह उम्र 32 वर्ष जाति रावणा राजपूत निवासी चक, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।	बनाम्	1. किशनसिंह पुत्र सोहनसिंह 2. रिछपाल पुत्र सोहनसिंह 3. बुद्धसिंह पुत्र सोहनसिंह 4. सम्पतसिंह पुत्र सोहनसिंह 5. मुलसिंह पुत्र सोहनसिंह 6. कानसिंह पुत्र सोहनसिंह 7. छोटूसिंह पुत्र सोहनसिंह समस्त जाति रावणा राजपूत निवासी चक, तहसील डीडवाना जिल नागौर राज0 8. उप पंजीयक/तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 53, 88, 188 R.T.Act.

दिनाँक 08.09.2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री महावीर प्रसाद गुर्जर वकील वादी व श्री सतवीर सतवीर ठोलिया वकील प्रति0 सं0 1 ता 7 की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, सरहद चक पटवार हल्का सिंघाना के खेत खसरा सं0 64 रकबा 1.4800 हैक्टे0, खसरा सं0 15 रकबा 3.0500 हैक्टे0, खसरा सं0 17 रकबा 0.3200 हैक्टे0 भूमि में इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर वादी को स्वतन्त्र खातेदार घोषित किया जाता है।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–....................
खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–.......... आज की तारीख को अदा करें।
बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 08.09.2022 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:37:08 IST
Reason: SelfAttested

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner